उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-41/2018/501/92-2-2018-87(जांच)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट द्वारा सही तथ्यों को छुपाने तथा त्रुटिपूर्ण, भ्रामक सूचना प्रेषित करने, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्मित एवं पूर्ण कार्यों के सापेक्ष दिनांक 28.08.2015 तक वास्तविक रूप से किये गये भुगतान एवं मासिक रिपोर्ट में दशार्यी गयी व्यय धनराशि में भिन्नता पाये जाने तथा गलत सूचना प्रेषित कर शासकीय धन का दुरूपयोग का प्रयास किये जाने तथा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में उदासीनता बरतने, लक्ष्यों को समय से पूर्ण कराने में पर्याप्त रूचि न लेने एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना किये जाने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/180/92-2-17-87(जांच)/2016, दिनांक 28.02.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो गये। अपचारी अधिकारी श्री एन0के0 त्रिपाठी के सेवानिवृत्त के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.02.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-37/2018/315/92-2-2018-87(जांच)/2016, दिनांक 22.02.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 13.07.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल-03 आरोप को जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित नहीं पाया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप प्रमाणित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2017/180/92-2-17-87(जांच)/2016, दिनांक 28.02.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37/2018/315/92-2-2018-87(जांच)/2016, दिनांक 22.02.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-41/2018/501(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एन0के0, त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।